158

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल कैम्प रीवा (म0प्र0)

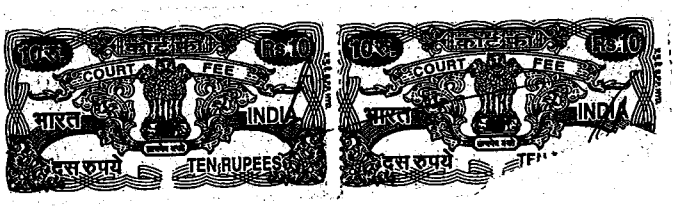

कमलेश्वर प्रसाद तनय स्व0 श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय उम्र 65 वर्ष, निवासी जरहा, थाना व तहसील गुढ जिला रीवा म0प्र0

.....निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1—	बालेन्द्र प्रसाद	तीनों के पिता श्री रावेन्द्र प्रसाद उपाध्याय
2—	पुष्पेन्द्र प्रसाद	
3—	ज्ञानेन्द्र प्रसाद	
4—	मृतक हरिवंश प्रसाद	दोनों के पिता श्री गौरीशंकर
5—	मृतक रामकृपाल	

सभी निवासी ग्राम जरहा, तहसील गुढ़, जिला रीवा म0प्र0

.....गैर निगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार सर्किल दुआरी, तहसील गुढ, जिला रीवा म0प्र0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2012 बावत् प्रकरण क्रमांक 7—अ—6/2009—10 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध होने से काबिल निरस्तगी है।

2— यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैर निगरानीकर्ता क. 1 द्वारा फर्जी वसीयतनामा विधि विरूद्ध रीति से मेली गवाहों की मदद से कूट रचना कर तैयार कराये गये वसीयतनामा दिनांक 08.01.1988 एवं 02.09.1996 के आधार पर स्व0 रामकृपाल व हरिवंश प्रसाद जो कि आवेदक के परदादी के भतीजे (भाई के लड़के) यानी आवेदक के रिश्ते में बाबा थे

R1702-II/12 सीवा

कमलेश्वर प्रसाद बनाम लल्ला प्रसाद

(1)	(2)	(3)
10-8-15	→ आवेदक की ओर से श्री दिवाकर सोहगौरा, एड० अनुपस्थित।	
(41)	→ पारित पूर्ववत नोटप्रेषण पर विचार।	रहे मुलाहिजा पाया गया
	C.F. 19.8.15 [illegible] रीडर	
19-8-15	आवेदक की ओर से श्री दिवाकर श्री सोहगौरा अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर बताया कि आवेदक इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त करने का निवेदन किया गया है।	
	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।	
	[illegible] [signature] सदस्य	